विविध सिविल

न्यायमूर्ति बाल राज तुली एंड प्रीतम सिंह पट्टर, के समक्ष

चंडी राम, श्री थंडू राम के पुत्र, आदि,- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य हरियाणा सरकार के सचिव के माध्यम से, सिंचाई विभाग, चंडीगढ़,-उत्तरदाता।

1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 87।

25 मार्च, 1975।

पंजाब बेहतरी शुल्क और एकड़ दर अधिनियम (1952 का III)-धारा 4 और 5-ए-पंजाब बेहतरी शुल्क और एकड़ दर नियम, 1955-नियम 11-ए और 12-भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 14, प्रविष्टि 17 सातवीं अनुसूची की सूची II-धारा 5-ए-क्या यह अधिकार अनुच्छेद 14 का *उल्लंघन करता है- बेहतरी प्रभार लगाना* -चाहे वह सातवीं अनुसूची की सूची II या III में किसी भी प्रविष्टि के लिए संदर्भित हो - इस तरह का शुल्क-चाहे वह कर हो।

अभिनिर्धारित किया कि पंजाब बेहतरी प्रभार और एकड़ दर अधिनियम, 1952 की धारा 5-ए केवल उस अवधि के लिए बेहतरी शुल्क की वसूली के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करती है, जिसके दौरान धारा 4 के तहत अनुसूची अंतिम रूप से तैयार नहीं की गई है। स्वाभाविक रूप से, इसे प्रक्रिया का पालन करने के लिए कोई विस्तृत प्रावधान नहीं करना है क्योंकि प्रावधान अस्थायी है। फिर

भी पंजाब बेहतरी शुल्क और एकड़ दर नियम, 1955 के नियम 11-ए में प्रत्येक फसल के लिए भूमि मालिकों या कब्जाधारियों से वसूल किए जाने वाले अग्रिम बेहतरी शुल्क की राशि निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जिन्हें आपत्तियां दायर करने का अधिकार दिया गया है, जिनका निपटान डिप्टी कलेक्टर या डिवीजनल कैनाल ऑफिसर द्वारा किया जाना है। यह सच है कि उनके फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन एक वैधानिक प्रावधान केवल इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि किसी विशेष आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। यह विधायिका पर है कि वह इस तरह का उपाय प्रदान करे या नहीं। आपत्तियों पर निर्णय लेने की शक्ति विभाग के काफी उच्च अधिकारियों में निहित है जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना होता है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 5-ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार के बाहर नहीं है। (पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम के अधीन अधिरोपित बेहतरी प्रभार प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में हैं। यह उदग्रहण कोई कर नहीं है क्योंकि यह सभी भूस्वामियों पर नहीं बल्कि केवल ऐसे भूस्वामियों पर लगाया जाता है जिनकी भूमि राज्य द्वारा प्रदान की गई सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होती है। यह शुल्क विभिन्न भूमि मालिकों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य को होने वाले बड़े खर्च की भरपाई करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। यह लेवी सिंचाई परियोजनाओं पर भारी व्यय करने के लिए सरकार को योगदान के रूप में है और इस तरह के योगदान के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत कानून बनाया जा

सकता है। इस प्रकार, यह अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 के लिए संदर्भित है और इसके तहत बेहतरी शुल्क लगाना कर नहीं है।

(पैरा 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है किः

(i) पंजाब अधिनियम संख्या 2 , 1952 की धारा 5-क को अधिकार से बाहर घोषित किया जाए;

(ii) याचिकाकर्ताओं से बेहतरी प्रभारों के अग्रिम भुगतान की मांग से संबंधित उत्तरदाताओं के अभिलेखों को मंगाते हुए और उसी के अवलोकन के बाद आक्षेपित मांगों को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण-लेख की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए;

(iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश कि यह माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, जारी किया जाए;

(iv) रिट याचिका के निर्णय तक याचिकाकर्ताओं से बेहतरी प्रभारों की प्राप्ति पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए;

(v) इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में प्रस्ताव की नोटिसों की सेवा जारी की जाए; और

(vi) याचिकाकर्ताओं को लागत की अनुमति दी जाए।

आर. एस. मित्तल, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एम. एल. बंसल के साथ।

जे. एन. कौशल, महाधिवक्ता, हरियाणा और सी. डी. दीवान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रत्यर्थियों के लिए

निर्णय

न्यायाधीश तुली —(1) यह आदेश 21 रिट याचिकाओं (सं. 87, 125, 155, 161, 191, 194, 225, 247, 251, 282, 303, 304, 307, 312, 327, 357, 408, 424, 471, 488 और 1975 के 646) का निपटारा करेगा क्योंकि वे पंजाब बेहतरी प्रभार और क्षेत्र दर अधिनियम, 1952 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो हरियाणा राज्य पर लागू होते हैं, के कुछ प्रावधानों की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देते हैं।

इस अधिनियम को 5 जनवरी, 1953 को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी मिली और इसे 21 जनवरी, 1953 को पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया और उस तारीख को तत्कालीन पंजाब राज्य में शामिल क्षेत्रों में लागू किया गया। पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ ने पेप्सू बेहतरी शुल्क और एकड़ दर अधिनियम, 1954 भी लागू किया, जो उस राज्य के क्षेत्रों में तब लागू था जब दो राज्यों पंजाब और पेप्सू का विलय 1 नवंबर, 1956 से प्रभावी हुआ था। इसके बाद, यह वांछनीय माना गया कि नए पंजाब राज्य में बेहतरी शुल्क और रकबा दरों के उद्ग्रहण को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 1 की उपधारा (2) को पंजाब

अधिनियम सं. 12 ,1958 :-"1. (2) इसका विस्तार उन क्षेत्रों तक होगा जो 1 नवंबर, 1956 से ठीक पहले पंजाब और पटियाला राज्य और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में शामिल थे।

इस संशोधन अधिनियम को 21 अप्रैल, 1958 को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी मिली और उस तारीख की पंजाब सरकार की अधिसूचना द्वारा 15 नवंबर, 1958 को लागू किया गया। उस तारीख से यह अधिनियम पूरे पंजाब राज्य पर लागू हो गया, जैसा कि 1 नवंबर, 1956 को गठित किया गया था, और उस राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, 1 नवंबर, 1966 से प्रभावी, यह अधिनियम हरियाणा राज्य पर लागू होता रहा है।

(2) इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य द्वारा शुरू की गई भाखड़ा-नांगल परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई योजनाओं से अपनी भूमि की सिंचाई करने वाले भूमि मालिकों से उन परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए योगदान के रूप में एक उदग्रहण बनाना था। पंजाब सरकार के गजट (असाधारण) दिनांक 28 अक्टूबर, 1952 में प्रकाशित उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः -

"उद्देश्यों और कारणों का कथन।राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, पंजाब सरकार ने भाखड़ा-नांगल परियोजना सहित कई सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया है। इससे भारी खर्च हुआ है और बड़े ऋण लिए गए हैं और भारी निवेश किया गया है। इसलिए, यह आवश्यक और उचित है कि उक्त व्यय को पूरा करने के लिए योगदान के रूप में लाभान्वित भूमि मालिकों से एक उदग्रहण किया जाना चाहिए।

2. एक सिंचाई योजना में भूमि के संबंध में देय बेहतरी शुल्क योजना के संबंध में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भूमि के मूल्य और योजना के संचालन में आने के बाद उनके अनुमानित मूल्य के बीच के अंतर के आधे से अधिक नहीं हो सकता है। शुल्क न्यायसंगत होना सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

3. रकबा दरों का उद्देश्य सिंचाई योजना में शामिल भूमि के उप-विभाजन को एक एकड़ के खेतों में या उपक्रम स्तर, स्थलाकृतिक या मिट्टी सर्वेक्षण में या उसमें जलमार्गों या गाँव की सड़कों के निर्माण में सरकार द्वारा किए गए खर्च को कवर करना है।

इन याचिकाओं में, हम रकबे की दरों से संबंधित नहीं हैं।

(3) अधिनियम को 1959 के पंजाब अधिनियम संख्या 7 द्वारा और संशोधित किया गया था, और अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं इस प्रकार हैंः-

"धारा 2 (बी) 'बेहतरी शुल्क' का अर्थ है सिंचाई योजना में शामिल भूमि पर धारा 4 के तहत लगाए गए शुल्क;

(ग) 'नहर' में शामिल हैं-

(i) किसी नदी, धारा, झील या पानी या प्राकृतिक जल निकासी चैनल के प्राकृतिक संग्रह के सभी हिस्से जिन पर उत्तर भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (1873 का VIII) के भाग II के प्रावधान लागू होते हैं;

(ii) पानी की आपूर्ति या भंडारण के लिए सरकार द्वारा निर्मित, बनाए गए या नियंत्रित सभी नहरें, चैनल, जलाशय, कुएं, ट्यूबवेल और लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था;

(iii) ऐसी नहरों, चैनलों, रेजर, लिफ्ट, कुएं या सिंचाई व्यवस्था से जुड़े सभी कार्य, तटबंध, संरचनाएं, आपूर्ति और पलायन चैनल;

(iv) ऐसे सभी जलमार्ग, अर्थात् ऐसे सभी जलमार्ग, जिन्हें नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जिनका सरकार की कीमत पर रखरखाव नहीं किया जाता है, और ऐसे किसी भी जलमार्ग से संबंधित सभी सहायक कार्य;

(घ) "सिंचाई योजना की लागत" से उस अवधि के संदर्भ में, जिसके दौरान उक्त देनदारी का निर्वहन किया जाना है, संविदा किए गए ऋण या किए गए निवेश, उस पर ब्याज, योजना के रखरखाव और संचालन की लागत या उसके विस्तार या उसके परिणामस्वरूप विस्तार की कुल वित्तीय देनदारी अभिप्रेत है;

(च) 'सिंचाई योजना' से ऐसी कोई योजना अभिप्रेत है जो धारा 3 में निर्दिष्ट है;

(ज) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

जे) अभिव्यक्ति "नहर अधिकारी" और "मंडल नहर अधिकारी" के वही अर्थ हैं जो उन्हें क्रमशः उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (1873 का VIII) में दिए गए हैं।

"(ञ)" "परिपक्व क्षेत्र" "से सिंचाई योजना में सम्मिलित भूमि का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो किसी फसल के दौरान उत्तर भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम सं. VIII) की धारा 36 के अधीन अधिभोगियों की दर के संदाय के अधीन है".

3. सिंचाई योजनाएं और बेहतरी शुल्क लगाने के प्रस्ताव की अधिसूचना.-जहां कोई

भी योजना 15 अगस्त, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए आई या लागू होती है, अर्थात्: -

(i) किसी मौजूदा या प्रक्षेपित नहर से भूमि की सिंचाई;

(ii) मौजूदा नहर की अनुमोदित सिंचाई सीमा के भीतर स्थित भूमि की सिंचाई का विस्तार;

(iii) पहले से सिंचित भूमि के लिए सिंचाई आपूर्ति या क्षमता कारकों या जल भत्ते में सुधार;

(iv) जल की आपूर्ति या भंडारण के लिए जल निकासी या सरकार द्वारा निर्मित, रखरखाव या नियंत्रित किसी जलाशय, बांध या तटबंध का प्रावधान या सुधार,

सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके उन भूमियों के संबंध में बेहतरी शुल्क लगाने के लिए आगे बढ़ सकती है जो सिंचाई योजना में शामिल हैं या शामिल किए जाने की संभावना है, जिसकी एक प्रति प्रभावित गांव में किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी। ऐसा करने का उसका इरादा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है, और ऐसी अधिसूचना में प्रस्तावित लेवी के संबंध में ऐसे विवरण निर्दिष्ट करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, जिसमें प्रस्तावित सिंचाई के प्रकार और सीमा से संबंधित विवरण भी शामिल हैं -•

बशर्ते कि किसी सिंचाई योजना के संबंध में कोई सुधार शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जहां उस समय लागू अन्य कानूनों के तहत लगाए जाने वाले शुल्क योजना की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं:

बशर्ते कि किसी भी योजना से वसूली योग्य सुधार शुल्क की राशि योजना पर

निवेश और उसके ऐसे हिस्से के बीच के अंतर तक सीमित होगी जो इसे उत्पादक बना सकता है।

स्पष्टीकरण I.- 'क्षमता कारक' का अर्थ है एक चैनल के अधिकृत पूर्ण आपूर्ति निर्वहन के लिए औसत आपूर्ति का अनुपात, और एक अवधि के लिए 'माध्य आपूर्ति' उस दौरान दिनों की संख्या से विभाजित क्यूसेक में दैनिक आपूर्ति के योग को दर्शाती है। अवधि।

स्पष्टीकरण II.- जल भत्ता' का अर्थ सिंचाई योजना में शामिल प्रति हजार एकड़ भूमि पर आउटलेट या वितरण क्षमता के पाठ्यक्रमों की डिज़ाइन की गई संख्या है।

स्पष्टीकरण III.-'क्यूसेक' डिस्चार्ज की इकाई है, और इसका मतलब प्रति सेकंड एक घन फुट पानी के प्रवाह की दर है

4. सुधार शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया:--

(1) धारा 3 में उल्लिखित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक महीने की समाप्ति के बाद किसी भी समय, सरकार सिंचाई योजना में शामिल सभी भूमि या भूमि के वर्ग के लिए बेहतरी शुल्क की अनुसूची तैयार कर सकती है, जिसमें उन दरों को दर्शाया जा सकता है जिन पर भूमि पर शुल्क लगाया जाएगा और भूस्वामियों और अधिभोग किरायेदारों द्वारा देय होगा और किस अनुपात में होगा और प्रभार इस प्रकार देय होगा।

(2) किसी सिंचाई योजना के संबंध में बेहतरी प्रभार लगाने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुसूची तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात् :-

1. सिंचाई का प्रकार;
2. सिंचाई में सुधार;
3. भूमि की बेहतरी की सीमा।

3) उपधारा (1) के अधीन तैयार अनुसूची का प्रारूप शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति प्रभावित क्षेत्र में किसी विशिष्ट स्थान पर और ऐसे अन्य रीति से चिपकाई जाएगी जो विहित की जाए।

",

4) कोई भी भूस्वामी या अधिभोग किरायेदार, जो प्रस्तावित बेहतरी प्रभारों से प्रभावित हो सकता है, सरकारी राजपत्र में अनुसूची के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर, या गांव में इसके प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, सरकार को लिखित में एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें उसकी आपत्तियां, यदि कोई हों, का उल्लेख किया गया हो। बेहतरी प्रभार या उसकी दर वसूलना।

5) आपत्तियों पर विचार करने के बाद और मामले में आगे की जांच करने के बाद, जैसा कि सरकार उचित समझे, सरकार बेहतरी प्रभारों की अंतिम अनुसूची निर्धारित करेगी और इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कराएगी, और ऐसे अन्य तरीके से जो निर्धारित की जाए।

3) बेहतरी शुल्क की राशि - (1) किसी सिंचाई योजना में सम्मिलित किसी भूमि की बाबत अधिरोपणीय बेहतरी प्रभारों की रकम, सिंचाई योजना के संबंध में किसी कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी तारीख के संदर्भ में भूमि के मूल्य के अन्तर के आधे से अधिक नहीं होगी, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात् ऐसी अन्य तारीख के संदर्भ में उनका अनुमानित मूल्य, जो सरकार समान रूप से नियत करे, और ऐसा मूल्यांकन विहित रीति से किया जाएगा।

(2) जहां किसी सिंचाई योजना में केवल लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था का रखरखाव और संचालन भूमि मालिकों या अधिभोग किरायेदारों द्वारा किया जाता है, वहां देय बेहतरी शुल्क उन शुल्कों के आधे से अधिक नहीं होगा जो अन्यथा गुरुत्वाकर्षण प्रवाह सिंचाई के लिए देय होतेः

बशर्ते कि जब भी ऐसी लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था को गुरुत्वाकर्षण प्रवाह सिंचाई में परिवर्तित किया जाता है, तो भूमि मालिक या अधिभोग किरायेदार, जैसा भी मामला हो, भूमि के संबंध में पूर्ण बेहतरी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5-ए- बेहतरी प्रभारों का अग्रिम भुगतान, उनकी प्राप्ति आदि करने की

शक्ति-(1) इस अधिनियम में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन बेहतरी प्रभार का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति, कृषि वर्ष 1958-59 की खरीफ फसल से प्रभावी होकर, प्रत्येक फसल पर अपने परिपक्व क्षेत्र के संबंध में बेहतरी प्रभार का अग्रिम संदाय सरकार को ऐसे क्षेत्र के प्रति एकड़ पच्चीस रुपए से अनधिक दर पर करने के लिए दायी होगा, जो सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश देः

बशर्ते कि सरकार विभिन्न परिपक्व क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें नियत कर सके।

(3) सुधार प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने का दायित्व उस तारीख से समाप्त हो जाएगा जिस दिन धारा 4 की उपधारा (5) के तहत सरकारी राजपत्र में सुधार प्रभारों की अनुसूची प्रकाशित की गई है।

(4) इस अधिनियम के अधीन संदत्त किए जाने वाले बेहतरी प्रभारों की राशि, जो कोई व्यक्ति संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा संदत्त किए गए बेहतरी प्रभारों के अग्रिम संदाय की राशि में कटौती करने के पश्चात् उससे वसूल की जाएगी।

(5) यदि सुधार शुल्क के अग्रिम भुगतान की राशि सुधार शुल्क की राशि से अधिक पाई जाती है, तो अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा उस व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिससे यह वसूल किया गया था।

(6) बेहतरी प्रभारों के अग्रिम भुगतान की रकम प्राप्त की जाएगी और

उपधारा (3) और (4) में यथा निर्दिष्ट उसकी कटौती या प्रतिदाय ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए।

9. बेहतरी शुल्क और रकबा दरों की वसूली का तरीका-(1) बेहतरी प्रभार और रकबा दरों का भुगतान एक या अधिक किश्तों में किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए; बशर्ते कि जहां बेहतरी शुल्क या रकबा दरों का भुगतान किश्तों में किया जाता है, ब्याज ऐसी किश्तों के संबंध में ऐसी दरों पर देय होगा जो निर्धारित की जाए और ऐसे ब्याज की वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसे बेहतरी शुल्क या रकबा दर।

(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, किसी भूमि स्वामी को उसके संबंध में देय बेहतरी प्रभारों की संतुष्टि में सरकार के पक्ष में अपनी भूमि के किसी भी हिस्से को छोड़ने की अनुमति दे सकती है।

9-ए। (1) इस अधिनियम में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, धारा 4 के अधीन अंतिम अनुसूचियों का प्रकाशन लंबित रहने तक, कोई भूमि स्वामी, यदि वह ऐसा चाहता है, तो अधिनियम के अधीन उद्गृहीत बेहतरी प्रभारों की एकमुश्त राशि में ऐसी दर पर, जो सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे, अग्रिम भुगतान कर सकेगा और जहां कोई भूमि स्वामी ऐसा करने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करता है, वह धारा 5-क के अधीन बेहतरी प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा

और यदि उसने पहले ही धारा 5-क के अधीन किसी राशि का भुगतान कर दिया है, तो इस धारा के अधीन देय अग्रिम भुगतान उस सीमा तक कम कर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (3) के प्रावधान धारा 5-क की (4) और (5) जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किए गए संदाय पर लागू होंगी।

(4) पंजाब बेहतरी प्रभार और एकड़ दर नियम, 1955 (जिसे इसके बाद नियम कहा गया है) को बेहतरी शुल्क और एकड़ दर के निर्धारण और भूमि मालिकों और कब्जाधारियों से इसकी वसूली के लिए प्रावधान करने की दृष्टि से तैयार किया गया था। 1957 में संशोधित नियमों के नियम 4 को निम्नानुसार पढ़ा गयाः

(5) भूमि के मूल्य में वृद्धि के लिए मूल्यांकन की विधि।(1) सिंचाई योजना में सम्मिलित पूरे क्षेत्र को बोर्ड द्वारा प्रखंडों या मूल्यांकन वृत्तों में विभाजित किया जाएगा, ताकि मिट्टी या संबंधित क्षेत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, अंतिम बस्ती में वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक या सर्कल में मिट्टी की कमोबेश समान भौतिक विशेषताएँ हों।

(2) बोर्ड पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम XVII) की धारा 3 के खंड (18) में परिभाषित नकद में शुद्ध संपत्ति का अनुमान एक मूल्यांकन सर्कल में भूमि के प्रत्येक वर्ग के लिए तैयार करेगा।

-

(क) अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित योजना के प्रारंभ से पूर्व की तारीख के लिए; और

(ख) अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी प्रारंभ के पश्चात् की तारीख के लिए, निम्नलिखित के अधीन रहते हुएः —

(1) भूमि की उपज, श्रम और किसी अन्य व्यय की विभिन्न वस्तुओं के लिए अपनाई जाने वाली दरें उस तारीख के वर्ष में प्रचलित होंगी;

(ii) योजना से पूर्व और योजना के बाद की तारीखों के लिए शुद्ध परिसंपत्तियों की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, वह हिस्सा जो एक किरायेदार द्वारा बनाए रखा जाएगा यदि भूमि गैर-अधिभोग किरायेदार को किराए पर दी गई थी, चाहे वह प्रकार या नकद में हो, उत्पाद का दो-तिहाई होगा;

(iii) योजना से पहले और योजना के बाद की तारीखों दोनों पर शुद्ध परिसंपत्तियों की गणना के लिए अनुमानित उपज समान वर्गीकरण वाली मिट्टी के लिए अंतिम निपटान रिपोर्ट में निर्धारित की जाएगी। जहां किसी विशेष प्रकार की सिंचाई या मिट्टी के वर्ग के लिए उपज सिंचाई योजना में संबंधित मूल्यांकन सर्कल के लिए अंतिम निपटान रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है, वहां उपज को समान जलवायु क्षेत्र में स्थित मूल्यांकन सर्कल के लिए अंतिम निपटान रिपोर्ट में निर्धारित के रूप में लिया जा सकता है और मिट्टी की गुणवत्ता और स्थानीय जांच के बारे में सामान्य टिप्पणियों द्वारा, जहां

आवश्यक हो, सिंचाई आपूर्ति की समान मात्रा प्राप्त की जा सकती है।

(3) भूमि स्वामी या किसी अधिभोग किरायेदार की भूमि का मूल्य उसकी शुद्ध संपत्ति का 30 गुना माना जाएगा।

(4) सुधार शुल्क की गणना अंतिम निपटान में दर्ज भूमि के वर्गों के संदर्भ में और नवीनतम उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित के रूप में और किसी विशेष प्रकार की भूमि के लिए प्रदान की गई विभिन्न प्रकार की सिंचाई सुविधाओं के संदर्भ में भी की जाएगी।

उस नियम को व्यवहार्य नहीं पाया गया और 18 जनवरी, 1973 की अधिसूचना द्वारा हरियाणा सरकार ने उस नियम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित कियाः -

"4. भूमि के मूल्य की गणना।—(1) भूमि का मूल्य-
(क) अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित योजना के प्रारंभ से पूर्व की तारीख; और
(ख) प्रत्येक प्रारंभ के पश्चात् की तारीख जो सरकार अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी, तहसील या निर्धारण मंडल या एक गाँव को इकाई के रूप में लेते हुए निर्धारित किया जाएगा। भूमि का मूल्य उपर्युक्त उप-पैरा (क) और (ख) के अधीन उल्लिखित दो तिथियों से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के लिए इकाई में भूमि के औसत विक्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(2) प्रदान की जाने वाली या प्रस्तावित सिंचाई के प्रकार और विस्तार को ध्यान में रखते हुए, दरों पर सुधार शुल्क लगाया जाएगा। 5 जनवरी, 1959 की अधिसूचना द्वारा अंतःस्थापित नियम 11-ए, बेहतरी शुल्क के अग्रिम भुगतान को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है और निम्नानुसार हैः-

"11-ए- (1) जब राज्य सरकार द्वारा सुधार प्रभारों के अग्रिम भुगतान की दर को अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया जाता है, तो नहर अधिकारी अधिभोगियों की दर के प्रभार के लिए विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक मांग विवरण तैयार करेगा, जिसमें सुधार प्रभारों के अग्रिम भुगतान की राशि का पूरा विवरण होगा, जो प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उस पर एक नोटिस तामील कराएगा।

(3) जैसे ही उपनियम (1) में निर्दिष्ट मांग विवरण गांव के संबंध में पूरा हो जाता है, नियम 12,13,14 (क) 14 (ग) 15,23,24,25,27,28,29,30,33 (ख) और 34 के प्रावधान, जहां तक हो सके, उसी तरीके से बेहतरी शुल्क के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर लागू होंगे जैसे वे अधिनियम के तहत बेहतरी शुल्क की प्राप्ति पर लागू होते हैं।

(4) सुधार शुल्क का अग्रिम भुगतान करने के लिए प्रत्येक निर्धारिती को संग्रह करने वाले लैम्बरदार या अन्य व्यक्तियों द्वारा रसीदें निश्चित रूप से दी जाएंगी।

(5) प्रत्येक भूमि स्वामी का लेखा प्रभागीय नहर कार्यालय में रखा जाएगा, जिसमें बेहतरी शुल्क के अग्रिम भुगतान की वसूली दिखाई जाएगी।

(6) धारा 5-क के अधिनियमन के बाद, राज्य सरकार ने खरीफ 1958 से प्रभावी अग्रिम बेहतरी प्रभारों को प्राप्त करना शुरू कर दिया और भूमि मालिकों से

वसूली योग्य बेहतरी प्रभारों की राशि निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूची तैयार नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भूमि मालिकों ने हरियाणा राज्य को उनसे धारा 5-क के तहत अग्रिम 'बेहतरी शुल्क' वसूल करने से रोकने के लिए इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। ऐसी ही एक रिट याचिका (बारू सिंह मलिक और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) (1) का 27 अक्टूबर, 1972 को न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा द्वारा निर्णय लिया गया था और विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि-"धारा 5-ए के प्रावधानों की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि राज्य सरकार को अधिनियम के अन्य प्रावधानों की अनदेखी करने और तदर्थ दरों पर लेवी जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा मेरे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि उनके मुवक्किलों को रुपये की दर से शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया था। 1954 के खरीफ से 1971 के खरीफ तक 5 रुपये प्रति एकड़ की दर से इन शुल्कों का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। 10 प्रति एकड़। यह शुल्क मूल रूप से 1954 के खरीफ में लगाया गया था। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार अधिनियम के मूल प्रावधानों के तहत अपने उचित निर्धारण के बिना पिछले 18 वर्षों से बेहतर शुल्क वसूल रही है। राज्य सरकार की ओर से दायर लिखित बयान में यह संकेत नहीं दिया गया है कि निकट भविष्य में योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मूल रूप से प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में जो शुल्क लगाने का इरादा था, वह अब कर के रूप में लगाया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत राज्य सरकार इस लेवी को समायोजित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जब कोई योजना अंततः बनाई जाती है, लेकिन गरीब किसानों और भूमि-धारकों से इस प्रकार के वादों से उम्मीद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिनके निकट भविष्य में पूरे होने की उम्मीद नहीं है। कार्यकारी सरकार ने कर

लगाने के लिए उसे जनादेश देने के अनुरोध के साथ विधायी शाखा से संपर्क नहीं किया और केवल इसी कारण से उसे कर के रूप में कुछ भी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही कानून इसे केवल रियायती दर पर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करता हो।

उस मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि-"राज्य सरकार अधिनियम की धारा 4 द्वारा परिकल्पित अनुसूची को अंतिम रूप देने तक याचिकाकर्ताओं पर बेहतरी शुल्क लगाने से परहेज करेगी। यदि इस तरह के अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं, तो राज्य सरकार के लिए भूमि राजस्व के बकाया के रूप में याचिकाकर्ताओं से उसी राशि की वसूली करने का अधिकार होगा।

1973 P.L.J. 285 है।

उस निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक अपील को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था और जिसने राज्य सरकार को अनुसूचियों को तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले, नियमों के नियम 4 में संशोधन किया गया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। भूमि मालिकों ने इस न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर करना जारी रखा और ऐसी तीन याचिकाओं का निपटारा माननीय मुख्य न्यायाधीश और पी. सी. जैन, जे. द्वारा 19 सितंबर, 1974 को किया गया। फैसला शिव कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में लिखा गया था (2). उन मामलों में, यह पाया गया कि रबी 1973-74 के लिए अग्रिम बेहतरी शुल्क की मांग नियमों के नियम 11-ए के तहत अपेक्षित अधिसूचना के प्रकाशन के बिना की गई थी और उस आधार पर अग्रिम बेहतरी शुल्क की विवादित मांगों को रद्द कर दिया गया था। तथापि, यह मत व्यक्त किया गया कि यह विनिश्चय

राज्य को रबी 1973-74 और भावी फसलों के लिए नये सिरे से मांगें सृजित करने और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की जाने वाली आपत्तियों, यदि कोई हों, को सुनने के पश्चात् उन्हें लागू करने के लिए विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से वर्जित नहीं करेगा। इसी तरह, उन मामलों के याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं में उठाए गए अन्य बिंदुओं पर नए सिरे से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार दिया गया था, जिन पर वकील की सुनवाई नहीं हुई थी। बारू सिंह मलिक के मामले में अपने पहले के फैसले के आधार पर 8 अगस्त, 1974 को एम. आर. शर्मा, जे. द्वारा दीवानी रिटों के एक अन्य बैच का फैसला किया गया था। (supra). राज्य ने लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत 18 अपीलें दायर कीं जिन्हें संभवतः इस आधार पर पूर्ण पीठ को निर्णय के लिए भेजा गया था कि बारू सिंह मलिक के मामले (उपर्युक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील पहले ही एक खंड पीठ द्वारा खारिज कर दी गई थी। वे अपीलें 31 जनवरी, 1975 को एक पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं और पक्षकारों के वकील की सहमति पर उनका निपटारा किया गयाः-"हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता और रिट-याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थियों के वकील, जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं, इस बात से सहमत हैं कि पंजाब बेहतरी शुल्क और एकड़ अधिनियम, 1952 की धारा 4 द्वारा परिकल्पित अनुसूची को अंतिम रूप देने तक रिट-याचिकाकर्ताओं (अब उत्तरदाताओं) पर बेहतरी शुल्क लगाने से बचने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य सरकार को जारी निर्देश को दरकिनार किया जा सकता है, और इसके लिए उस निर्देश को प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो शिव, कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा दिया गया था। अन्यथा भी हमारा विचार है कि संबंधित रिट याचिकाओं में, जिनसे ये अपीलें की गई हैं, आरोप लगने पर राज्य को केवल वही आदेश जारी किया जा सकता

है जो शिव कुमार और अन्य के मामले में दिया गया था (supra). हम इन सभी अपीलों का तदनुसार निपटान करते हैं, अर्थात् रिट याचिकाओं में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश को प्रतिस्थापित करते हुए, राज्य को धारा 5-ए (एल) के तहत अपेक्षित अधिसूचना जारी किए बिना और पंजाब बेहतरी शुल्क और एकड़ दर नियम, 1955 के नियम 11-ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिनियम की धारा 5-ए के तहत रिट-याचिकाकर्ता-उत्तरदाताओं से किसी भी अग्रिम बेहतरी शुल्क की मांग करने से बचने का निर्देश देते हैं। (as amended in 1959). सुधार प्रभारों के अग्रिम भुगतान की मांग जो रिट याचिकाओं में, अर्थात् 1973-74 के लिए, आक्षेपित की गई थी, उसी आधार पर खारिज कर दी जाती है। मामले की परिस्थितियों में हम इनमें से किसी भी अपील में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

फैसले को हरियाणा राज्य और अन्य बनाम पोलु राम और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है, (3).

(1) (1) सीडब्ल्यू 2446/74 ने 19-9-74 पर फैसला किया।

(6) हरियाणा राज्य ने अधिसूचना सं. S.O.-135/P.A. 2/55/एस। 5/74, दिनांक 23 अगस्त, 1974 का पाठ निम्नानुसार हैः-"पंजाब बेहतरी प्रभार और एकड़ दर अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल ने भाखड़ा नांगल परियोजना नहर प्रणाली में सम्मिलित या सम्मिलित किए जाने की संभावना वाली भूमि के विक्रय मूल्य के अवधारण के लिए 16 जून, 1948 को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की तारीख और 16 जून, 1967 को कार्य प्रारंभ होने के पश्चात की तारीख नियत की है।

श्री हरगोलाल, अवर सचिव, सरकार, हरियाणा, सिंचाई और बिजली विभागों द्वारा इनमें से कुछ रिट याचिकाओं में दायर रिटर्न में कहा गया है कि C.W में इस न्यायालय के फैसले का अनुपालन। 1974 का 2446 (शिव कुमार और अन्य का मामला) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है और उस निर्णय के बाद, राज्य सरकार द्वारा उस निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार बेहतरी अधिनियम के तहत जांच किए गए सभी कानूनी और प्रशासनिक कदमों का पालन किया जा रहा है।

(2) 1975 पीएलजे 78.

(7) कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री आर. एस. मित्तल द्वारा जोरदार तर्क दिया गया पहला बिंदु यह है कि अधिनियम की धारा 5-ए संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर है क्योंकि यह बिना किसी दिशानिर्देश के और अग्रिम बेहतरी शुल्क के निर्धारण के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान किए बिना मनमाने ढंग से शक्ति प्रदान करती है।

यह ध्यान में रखना होगा कि धारा 5-क केवल उस अवधि के लिए बेहतरी प्रभारों की वसूली के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करती है जिसके दौरान धारा 4 के तहत अनुसूची अंतिम रूप से पूर्व निर्धारित नहीं है। स्वाभाविक रूप से, इसे प्रक्रिया का पालन करने के लिए कोई विस्तृत प्रावधान नहीं करना है क्योंकि प्रावधान अस्थायी है। फिर भी नियम 11-ए ने प्रत्येक फसल के लिए भूमि मालिकों या अधिभोगियों से वसूल किए जाने वाले अग्रिम सुधार शुल्क की राशि निर्धारित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए पर्याप्त दृष्टिकोण बनाया है। उस नियम के तहत, सुधार शुल्क के अग्रिम भुगतान की दर को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5-ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया जाना है और उसके बाद नहर अधिकारी को अधिभोगियों की दर के

प्रभार के लिए निर्धारित प्रपत्र में उसके संबंध में एक मांग विवरण तैयार करना होगा जिसमें सुधार शुल्क के अग्रिम भुगतान की राशि का पूरा विवरण होगा जो प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उस पर एक नोटिस जारी करना है। इसके बाद, उसमें उल्लिखित कुछ नियमों के प्रावधान लागू हो जाते हैं। मांग पर्ची नियम 12 के तहत वितरित की जाती है और एक निर्धारिती मांग पर्ची की सेवा की तारीख के तीस दिनों के भीतर या जहां मांग पर्ची विधिवत रूप से नहीं दी गई है, जब उसे मांग पर्ची की जानकारी हो, तो संबंधित संभागीय नहर अधिकारी या उप-कलेक्टर को मांग के खिलाफ अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का हकदार है। उन आपत्तियों का निपटान उस अधिकारी द्वारा किया जाना है जिसे वे प्रस्तुत की जाती हैं और उसके बाद बेहतरी शुल्क के संग्रह के समय मांग पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए और न ही संग्रह को निलंबित किया जाना चाहिए। यह सच है कि नियम 14 (ख) में की गई अपील का प्रावधान ऐसी आपत्तियों पर लागू नहीं किया गया है, लेकिन एक वैधानिक प्रावधान केवल इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि किसी विशेष आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। आपत्तियों का निपटान या तो उप-कलेक्टर या संभागीय नहर अधिकारी द्वारा किया जाना है, जो विभाग के काफी उच्च अधिकारी हैं और राशि की शीघ्र वसूली के हित में, निर्धारिती को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपत्तियों को तय करने में उप-कलेक्टर या संभागीय नहर अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति मनमाना है। उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारिती द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेना होगा, हालांकि संक्षिप्त तरीके से। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मांग पर आपत्तियां उठाने और उनके निपटारे का प्रावधान अधिनियम या नियमों में नहीं किया गया है। रिलायंस को कुन्नथट थथुन्नी मूपिल नायर आदि में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। v. केरल राज्य

और दूसरा, (3क) जो तथ्यों पर स्पष्ट रूप से अलग है। उस मामले में, ट्रैवेंकोर-कोचीन भूमि कर अधिनियम ने 'भूमि कर' नामक एक कर लागू किया था। 2 प्रति एकड़ जो संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया था। अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को भी अधिकार से बाहर कर दिया गया था। उस अधिनियम की धारा 5-ए में सर्वेक्षण न की गई भूमि के मामले में मूल कर के अनंतिम निर्धारण का प्रावधान किया गया था, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः-"5ए (1) यह सरकार के लिए सक्षम होगा कि वह किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा धारित और सरकार द्वारा सर्वेक्षण नहीं की गई भूमि के संबंध में देय मूल कर का अनंतिम निर्धारण करे और ऐसे निर्धारण पर ऐसा व्यक्ति अनंतिम निर्धारण में शामिल राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि का सर्वेक्षण करने के पश्चात् ऐसी भूमि के संबंध में देय मूल कर का नियमित निर्धारण करेगी। एक नियमित निर्धारण किए जाने के बाद, उपधारा (1) के तहत किए गए अनंतिम निर्धारण के लिए भुगतान की गई किसी भी राशि को नियमित निर्धारण के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा और जब अनंतिम निर्धारण के लिए भुगतान की गई राशि नियमित निर्धारण के तहत देय राशि से अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त राशि मूल्यांकन किए गए व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।

इस धारा को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (च) के अधिकार से बाहर माना गया थाः -

(3क) AIR 1961 S.C. 552: "धारा 5 (क) घोषित करती है कि सरकार सर्वेक्षण

न की गई भूमि के धारक द्वारा देय मूल कर का अनंतिम मूल्यांकन करने में सक्षम है। आम तौर पर, एक कराधान कानून कानून द्वारा लगाए जाने वाले प्रस्तावित कर का आकलन करने के लिए एक नियमित तंत्र निर्धारित करता है। यह प्रस्तावित कर की जाने वाली संपत्ति के संबंध में विवरणी देने के लिए प्रस्तावित निर्धारिती को नोटिस देने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है, कराधान के लिए दायित्व या प्रस्तावित कर की सीमा के बारे में किसी भी आपत्ति की सुनवाई के लिए प्राधिकरण और प्रक्रिया निर्धारित करता है, और अंत में, उच्च नागरिक न्यायालय में कार्यवाही का सहारा लेकर किए गए मूल्यांकन की पुनरावृत्ति को चुनौती देने के अधिकार के बारे में। अधिनियम केवल एक अनंतिम मूल्यांकन करने के लिए सरकार की क्षमता की घोषणा करता है, और मद्रास राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 की धारा 3 के आधार पर, भूमिधारक टेक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अधिनियम मूल्यांकन करने में अपनाई जाने वाली मशीनरी और प्रक्रिया के बारे में चुप होने के कारण यह कार्यपालिका पर छोड़ देता है कि वह पुनः आवश्यक मशीनरी और प्रक्रिया विकसित करे। शुरू से अंत तक, पूरी बात को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक चरित्र के रूप में माना जाता है, पूरी तरह से कानूनी स्थिति की अनदेखी करते हुए कि व्यक्ति या संपत्ति पर कर का आकलन कम से कम एक अर्ध-न्यायिक चरित्र का है। पुनः, अधिनियम सरकार पर किसी निर्धारित या सुनिश्चित अवधि के भीतर सर्वेक्षण कार्यवाही करने का दायित्व नहीं अधिरोपित करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक भूमि-धारक को कम या ज्यादा अनुमान के आधार पर बार-बार वार्षिक

अनंतिम मूल्यांकन के अधीन किया जा सकता है और इस प्रकार निर्धारित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। हालाँकि यह अधिनियम लगभग पाँच साल पहले पारित किया गया था, लेकिन हमें बार में सूचित किया गया था कि सर्वेक्षण की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई थी। इस प्रकार अधिनियम भूमि धारकों पर ऐसे कर का भुगतान करने का दायित्व अधिरोपित करने का उपबंध करता है जो न्यायिक आधार पर उद्‌गृहीत नहीं किया जाना है, क्योंकि (1) अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित निर्धारिती को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है; (2) निर्धारण प्राधिकरण द्वारा की गई गलतियों के सुधार के लिए कोई प्रोसीडर नहीं है; (3) विधि के प्रश्नों पर उच्चतर सिविल न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए कोई प्रक्रिया विहित नहीं है, जैसा कि आम तौर पर सभी कर विधियों में पाया जाता है, और (4) निर्धारण प्राधिकरण पर निर्धारण कार्यवाहियों के मामले में न्यायिक रूप से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं डाला गया है। न ही ऐसे निर्धारिती को अपील करने का कोई अधिकार प्रदान किया गया है जो मूल्यांकन के आदेश से व्यथित महसूस कर सकते हैं।

यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के तहत लगाए गए सुधार शुल्क कर नहीं हैं, बल्कि भूमि मालिकों या कब्जाधारियों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए शुल्क या पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति की श्रेणी में आते हैं। इसलिए, किसी कराधान कानून के साधारण प्रावधान, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप्स द्वारा इंगित किया गया है, लागू नहीं होते हैं। हालांकि, अधिनियम की धारा

5-ए में भूमि मालिकों और कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने का प्रावधान किया गया है, जो अग्रिम बेहतरी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार दिया गया है, जिनका निपटान किया जाना है, जैसा कि ऊपर दिए गए नियमों के नियम 11-ए में विस्तार से बताया गया है। उस फैसले के खिलाफ केवल अपील का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में अपील का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह का उपाय प्रदान करना या न करना विधायिका का काम है। इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपात निर्णय अधिनियम की धारा 5-ए के प्रावधानों पर लागू नहीं होता है। इस विभेदन पर, अधिनियम की धारा 5-ए को अधिकार से परे नहीं ठहराया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (च)। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले में, कानून के मुख्य कराधान उपबंध को निरस्त कर दिया गया था और इसलिए, उस कर के उद्ग्रहण या संग्रहण के लिए उपबंध करने वाली अधिनियम की सभी सहायक धाराएं बच नहीं सकीं और उन्हें मुख्य धारा के साथ जाना पड़ा। हमारे समक्ष मामलों में, अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं से बेहतरी शुल्क लगाने पर कोई हमला नहीं किया गया है। केवल धारा 5-ए के तहत अग्रिम बेहतरी शुल्क की वसूली की गई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, धारा 5-ए धारा 4 के तहत अनुसूची को अंतिम रूप देने तक बेहतरी शुल्क की वसूली के लिए अंतरिम व्यवस्था करती है। आवश्यक कार्यान्वयन द्वारा, धारा 5-क के तहत प्रक्रिया को एक सारांश

होना चाहिए ताकि बेहतरी शुल्कों का संग्रह अनुचित रूप से लंबे समय तक बाधित या विलंबित न हो। एक अंतरिम उपाय होने के कारण इसे प्राकृतिक न्याय के नियमों के न्यूनतम अनुपालन का पालन करना होता है, और शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों में निहित होने के कारण, इस धारा को इस आधार पर स्वतंत्र अधिकार नहीं माना जा सकता है कि यह बिना किसी दिशानिर्देश के मनमाने ढंग से शक्ति प्रदान करता है। अग्रिम बेहतरी शुल्क की अधिकतम राशि विधानमंडल द्वारा प्रति फसल 25 रुपये निर्धारित की गई थी और उस सीमा के भीतर अग्रिम बेहतरी शुल्क की दर तय की जानी थी। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बार में यह कहा गया है कि बारहमासी सिंचाई वाली फसल के लिए अब तक की उच्चतम दर 10 रुपये प्रति फसल निर्धारित की गई थी, जो किसी भी तरह से उच्च स्तर पर नहीं थी। यह 1.25 रुपये प्रति एकड़ से लेकर 10 रुपये प्रति एकड़ प्रति फसल तक था ताकि भूमि मालिकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बेहतरी शुल्क की राशि निर्धारित करते समय विवेकपूर्ण दिमाग लगाया जा सके। इसलिए हमें अधिनियम की धारा 5-ए की संवैधानिक वैधता पर हमले को पीछे हटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने तर्क दिया है कि भूमि मालिकों या अधिभोगियों द्वारा देय बेहतरी प्रभारों की राशि की गणना करने के लिए भूमि के विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए कार्य प्रारंभ होने से पूर्व की तारीख 16 जून, 1948 और कार्य प्रारंभ होने के पश्चात की तारीख 16 जून, 1967 को दिनांक 23 अगस्त, 1974 की अधिसूचना में मनमाने ढंग से नियत किया गया है और इसलिए अधिसूचना को निरस्त कर दिया

जाना चाहिए। महान्यायवादी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 4 मई, 1956 को अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया था कि भाखड़ा मुख्य लाइन नहर प्रणाली के संबंध में, सिंचाई की बारहमासी योजना के मामले में भूमि का मूल्य निर्धारित किया जाएगा, जब प्रदान की गई सिंचाई की सीमा भूमि के मूल्य में वृद्धि के अनुसार बेहतरी शुल्क की गणना के लिए 62 प्रतिशत है। उस अधिसूचना की एक प्रति बालू और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में लिखित बयान के साथ दाखिल की गई है। (4). इस प्रकार यह समझाया गया है कि 16 जून, 1967 एक मनमाना तिथि नहीं है, बल्कि वह वह तिथि थी जिस पर प्रदान की गई सिंचाई की सीमा 62 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। जहां तक काम शुरू होने से पहले की तारीख का संबंध है, हालांकि भाखड़ा-नंगल परियोजना का काम विभाजन से पहले ही शुरू कर दिया गया था, पंजाब सरकार ने 15 अगस्त, 1947 के बाद सिंचाई योजना के लागू होने के कारण 16 जून, 1948 की तारीख निर्धारित की। उस दृष्टिकोण से उस तारीख को भी मनमाना नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं की ओर से इस दावे का खंडन करने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए, उस अधिसूचना को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसमें मनमाने तारीखों का उल्लेख किया गया है।

(8) याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि उन्होंने पहले ही अग्रिम बेहतरी शुल्क के कारण काफी बड़ी राशि का भुगतान कर दिया है और उनसे कोई और राशि तब तक वसूल नहीं की जानी चाहिए जब तक कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अंतिम अनुसूची प्रकाशित नहीं की जाती है। जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि भाखड़ा-नांगल परियोजना से सिंचाई प्राप्त करने वाले हरियाणा राज्य के भूस्वामियों से वसूली योग्य सुधार शुल्क 36,33,50,000 रुपये होने का अनुमान लगाया

गया है, जिसमें से लगभग 15.89 करोड़ रुपये अब तक वसूल किए जा चुके हैं, जिससे उन शुल्कों का लगभग 60 प्रतिशत अभी तक वसूल नहीं किया गया है। 1971-72,1972-73 और 1973-74 में सुधार प्रभारों की वसूली के लिए रु। क्रमशः 125 लाख रुपये, 141 लाख रुपये और 138 लाख रुपये, ताकि पूरी प्राप्ति करने में कई साल लग जाएं। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य भूमि मालिकों ने अभी तक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया है और अंतिम अनुसूची प्रकाशित होने पर इन सभी भुगतानों को समायोजित किया जा सकता है। जब पहले की रिट याचिकाएं एम. आर. शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आईं, तो "इन तथ्यों को पंजाब राज्य से रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जो 1 नवंबर, 1966 से पहले की अवधि से संबंधित था, और इसलिए, उस निर्णय को पूर्ण पीठ द्वारा संशोधित किया गया था।

(4) C.W. 1975 का 125

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उत्तरी भारतीय नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 36,37 और 38 के तहत वसूल किए गए अधिभोगकर्ता दर और मालिक दर की राशि को याचिकाकर्ताओं और अन्य भूमि मालिकों से वसूली योग्य राशि के रूप में गिना जाना चाहिए था। जवाब में, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह समझाया गया है कि उन धाराओं में निर्धारित अधिभोगकर्ता की दर और मालिक की दर को उत्पादक व्यय के लिए लिया जाता है, जबकि बेहतरी शुल्क भाखड़ा-नांगल परियोजना और भाखड़ा-मेनलाइन नहर प्रणाली पर किए गए अनुत्पादक व्यय की वसूली के लिए होता है। धारा 3 के परंतुक इस स्थिति को प्रचुर मात्रा में स्पष्ट करते हैं और धारा 4 के तहत अनुसूची को अंतिम रूप देते समय, सक्षम

अधिकारी अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों पर उचित विचार करेंगे। भूमि मालिकों को अपने खिलाफ निर्धारित राशि के लिए नोटिस मिलने पर अपनी आपत्तियां उठाने का अधिकार होगा। मामले के इस पहलू पर कोई राय व्यक्त करना जल्दबाजी होगी।

(10) कुछ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, श्री राजेश चौधरी ने एक नया मुद्दा उठाया, अर्थात्, राज्य सरकार द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II या सूची III में किसी भी प्रविष्टि के तहत बेहतरी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जा सकता है, उनका तर्क है कि उद्ग्रहण एक कर है और शुल्क नहीं है और सूची II में उल्लिखित शर्तों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है; केवल शुल्क लगाया जा सकता है। एम. आर. शर्मा,-जे. ने बारू सिंह मलिक के मामले में कहा कि बेहतरी शुल्क प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में था। यह उद्ग्रहण निश्चित रूप से एक कर नहीं है क्योंकि यह सभी भूस्वामियों पर नहीं बल्कि केवल ऐसे भूस्वामियों पर लगाया जाता है जिनकी भूमि भाखड़ा-नांगल परियोजना से बहने वाली नहरों से प्राप्त सिंचाई से लाभान्वित हुई है। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण से संकेत मिलता है, यह शुल्क विभिन्न भूमि मालिकों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं पर राज्य को होने वाले बड़े खर्च की भरपाई करने के उद्देश्य से लगाया गया था। इसलिए, यह लेवी उन परियोजनाओं पर भारी व्यय करने के लिए सरकार को योगदान के रूप में है और हमारी राय में, उस आशय के लिए कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 के तहत बनाया जा सकता है, जो निम्नानुसार हैः-

"17. जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति, सूची I की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए।"

इस प्रकार इस समर्पण में कोई योग्यता नहीं है जिसे खारिज कर दिया जाता है।

(11) यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् कि अधिनियम की धारा 5-क अधिकार के भीतर है और उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, यह विनिश्चय करना होगा कि क्या राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुसूचियों को तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने में बहुत अधिक समय नहीं लिया है और धारा 5-क का और अधिक सहारा लेने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए या नहीं। स्पष्ट रूप से, निम्नलिखित दो पाठ्यक्रमों में से एक को अपनाया जा सकता हैः (i) राज्य सरकार को धारा 4 के तहत अनुसूची को अंतिम रूप देने तक अग्रिम बेहतरी शुल्क की कोई और वसूली करने से रोकना; या (ii) सरकार को कुछ और वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 5-ए के तहत अग्रिम बेहतरी शुल्क लगाना जारी रखने की अनुमति देना, इस अवधि के दौरान उसे भूमि मालिकों या कब्जाधारियों से आगे की वसूली करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूची को अंतिम रूप देना चाहिए।

इन दोनों विकल्पों के पक्ष और विपक्ष पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमारी राय है कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 5-ए के तहत बेहतरी शुल्क की वसूली को अगले दो या तीन वर्षों तक जारी रखने की अनुमति देने का विकल्प भूमि मालिकों और कब्जाधारियों के हित में होगा, न कि अब वसूली को रोकने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूचियों को अंतिम रूप देने पर भारी राशि का भुगतान करना होगा। तदनुसार हम यह निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 5-ए के अधीन भूमि स्वामियों और अधिभोगियों से खरीफ फसल 1977 तक अर्थात 30 सितंबर, 1977 तक अग्रिम वसूली जारी रखेगी और 1 अक्टूबर, 1977 से रबी की फसल के लिए राज्य सरकार केवल तभी बेहतरी

वसूली की हकदार होगी जब उस समय तक अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुसूचियों को अंतिम रूप दे दिया जाए। 30 सितंबर, 1977 तक अनुसूची को अंतिम रूप न देने की स्थिति में, धारा 5-ए के तहत अग्रिम बेहतरी शुल्क की वसूली उसके बाद नहीं की जाएगी। हमने 30 सितंबर, 1977 की तारीख का उल्लेख किया है, क्योंकि यह 19 सितंबर, 1974 की बात है, जब शिव कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2) (उपर्युक्त) का निर्णय डिवीजन बेंच द्वारा किया गया था, कि महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार तीन वर्षों के भीतर कार्यक्रम को अंतिम रूप देगी और वह हमारे सामने उस आश्वासन पर कायम हैं। इसलिए यह तारीख उनकी सहमति से तय की गई है।

(13) तत्कालीन महाधिवक्ता ने प्रथम स्थान पर तर्क दिया कि यदि कोई वैधानिक प्रावधान वैध माना जाता है, तो न्यायालय को राज्य सरकार को उसके तहत कार्यवाही या कार्रवाई करने से नहीं रोकना चाहिए। हालाँकि, इस नियम को अंतरिम व्यवस्था करने वाले वैधानिक प्रावधान के मामले में लागू नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था अपनी प्रकृति से एक छोटी अवधि की होती है और यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि यह स्थायी व्यवस्था का प्रावधान है, तो यह उस प्रावधान के तहत शक्ति का दुरुपयोग होगा। बारू सिंह मलिक के मामले (उपर्युक्त) में एम. आर. शर्मा, जे. के निर्णय में उस फसल के बारे में एक तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत होती है जिससे अग्रिम सुधार शुल्क का उद्ग्रहण शुरू हुआ था। विद्वान न्यायाधीश ने खरीफ 1954 का उल्लेख किया है जबकि यह खरीफ 1958 होना चाहिए। उस तारीख से भी, राज्य सरकार द्वारा समय-सारणी को अंतिम रूप दिए बिना सोलह से अधिक वर्ष पहले ही समाप्त हो चुके हैं। महाधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि देरी नवंबर, 1966 से पहले पंजाब सरकार की निष्क्रियता के कारण हुई थी और हरियाणा राज्य के गठन

के बाद, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने महसूस नहीं किया कि अधिनियम की धारा 4 के तहत बेहतरी शुल्क और उसकी वसूली की राशि निर्धारित करने के लिए अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया जाना था। अधिनियम की धारा 5-क में उपबंधित अंतरिम व्यवस्था, जिस पर 1 नवंबर, 1966 से पहले पंजाब राज्य द्वारा कार्रवाई की गई थी, प्रचलन में बनी रही और हरियाणा सरकार का ध्यान इस मामले की ओर बारू सिंह मलिक के मामले में न्यायाधीश एम. आर. शर्मा के निर्णय के बाद ही खींचा गया। हम इस स्पष्टीकरण को संतोषजनक मानते हैं और इसलिए, 30 सितंबर, 1974 से प्रभावी तीन साल का समय देने का निर्णय लिया है, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कहा गया था।

(14) विद्वत महाधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर, 1977 तक प्रत्येक फसल के लिए वसूली योग्य अग्रिम सुधार शुल्क की दर को वर्तमान में लागू दरों से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

(15) याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि 16 जून, 1967 को भूमि के विक्रय मूल्य में, दिनांक 23 अगस्त, 1974 की अधिसूचना में नियत तारीख को, 16 जून, 1948 के विक्रय मूल्य की तुलना में, वृद्धि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा भाखड़ा-नांगल परियोजना से बहने वाली भाखड़ा-मेनलाइन नहर प्रणाली से प्रदान की गई सिंचाई सुविधाओं के कारण नहीं है, बल्कि यह मुद्रास्फीति, भूमि मालिकों और कब्जाधारियों द्वारा स्वयं भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए धन का निवेश करके किए गए सुधार जैसे कुछ अन्य कारकों के कारण भी है और उन दो तिथियों पर विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकार को इन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन अधिकारियों को उन

दो तिथियों पर भूमि की बिक्री मूल्य निर्धारित करने का काम सौंपा गया है, वे इन कारकों को ध्यान में रखेंगे।

(16) परिणामस्वरूप, हम वही निर्देश जारी करते हैं जो हरियाणा राज्य और अन्य बनाम पोलु राम और अन्य (उपर्युक्त) में पूर्ण पीठ द्वारा जारी किया गया था कि हरियाणा राज्य धारा 5-ए (एल) के तहत अपेक्षित अधिसूचना जारी किए बिना और 1959 में संशोधित नियमों के नियम 11-ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिनियम की धारा 5-ए के तहत भूमि मालिकों से किसी भी अग्रिम बेहतरी शुल्क की मांग नहीं करेगा। धारा 5-ए के तहत अग्रिम बेहतरी शुल्क केवल खरीफ, 1977 यानी 30 सितंबर, 1977 तक अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूचियों को अंतिम रूप दिए बिना भी लगाया जाएगा और उसके बाद, बेहतरी शुल्क केवल तभी लगाया जाएगा जब अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए रिट याचिकाओं पर तदनुसार निर्णय लिया जाता है।

प्रीतम सिंह पट्टार, जे।मैं सहमत हूँ।

N.K.S.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु

न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा